समाहरणालय, शिवहर

(जिला योजना कार्यालय)

अल्पकालीन निविदा सूचना

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत एवं मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत विभिन्न विधालयों एवं अंगीभूत महाविधालय, शिवहर के लिए बेंच–डेक्स (लोहा/लकड़ी फेम), वाईट बोर्ड, ऑफिस टेबुल (लोहा/लकड़ी फेम), ऑफिस कुर्सी (लकड़ी का) एवं गोदरेज/गोदरेज टाईप आलमीरा क्रय हेतु निविदा प्रकाशन के तिथि से दिनांक 07.12.2017 के मध्याह्न 12:00 बजे तक निबंधित प्रतिष्ठानो/विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं से मुहरबन्द लिफाफा में निविदा आमंत्रित की जाती है। बेंच–डेक्स की विशिष्टी योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 4673 दिनांक 09.10.2014 से निर्गत पत्र के अनुसार होना चाहिए। प्राप्त निविदा को दिनांक 07.12.2017 को ही अपराह्न 2:00 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा। जिसमें निविदादाता स्वंय एवं उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति भी उपस्थित रह सकते है। निविदा में दिए गए अन्य सामग्रियों की विशिष्टी एवं शर्तो निम्न है :–

.शर्ते :–

1. तकनीकी एवं वितीय निविदा अलग–अलग लिफाफे में सीलबंद कर प्रस्तुत किया जाएगा।
2. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता के ही वितीय निविदा पर विचार किया जाएगा।
3. तकनीकी निविदा वाले लिफाफ में निम्नलिखित कागजात रखे जायेगें –

   (क) अग्रधन के रूप में 25,000.00 (पच्चीस हजार) रू0 का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा, जो जिला योजना पदाधिकारी, शिवहर के पदनाम से भुगतेय होगा।

   (ख) संबंधित फर्म को निबंधन एवं बिक्रीकर निबंधन प्रमाण–पत्र के साथ–साथ बिक्रीकर के अद्यतन Clearance प्रमाण पत्र देना होगा।

   (ग) पैन कार्ड के साथ विगत तीन वर्षो का Income Tax Return देना होगा।

   (घ) GST पंजीयन प्रमाण पत्र देना होगा।

   (ड0) काली सूची दर्ज नही होने संबंधी स्वलिखित प्रमाण–पत्र।

   (च) लघु उद्योग निबंधन प्रमाण पत्र देना होगा।
4. निविदादाता निर्माता हो या प्राधिकृत डिलर होने का प्रमाण–पत्र देना होगा।
5. बेंच–डेक्स का दर सभी कर सहित सम्मिलत कर देना होगा।

   (क) बेंच–डेक्स दो सिटेड एवं एक सिटेड (कुर्सीनुमा) का नमुना या कैटलॉग लाना होगा।

   (ख) वाईट बोर्ड 6X4 साईज का दर देना होगा ।

   (ग) गोदरेज/गोदरेज टाईप आलमीरा बड़ा साईज का होगा। सेल्फ आलमीरा एवं लॉकर आलमीरा का दर अलग–अलग देना होगा।

   (घ) ऑफिस कुर्सी एवं ऑफिस टेबुल (सभी लकड़ी) का दर अलग–अलग देना होगा।
6. उक्त सामग्री क्रय करने के संबंध में सामग्री की आवश्यकता/गुणवता/दर एवं संख्या के आलोक में निविदा के समय उपलब्ध कराये गये नमुना या कैटलॉग के आधार पर सामग्री की विशिष्टी क्रय समिति द्वारा तय किया जायेगा। क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा।
7. निविदा को बिना कारण बताये किसी भी समय अस्वीकृत करने अथवा संशोधित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा। किसी विवाद के स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, शिवहर होगा।

8. निविदादाता को सामग्री की आपूर्ति संबंधित विधालय में करना होगा, इसके लिए अलग से किसी भी प्रकार की परिवहन शुल्क देय नही होगा।
9. आपूर्तिकर्ता को अपूर्ति आदेश के साथ किसी भी प्रकार का अग्रिम राशि देय नही होगा।
10. बेंच–डेक्स पर संबंधित मद का नाम अंकित करना होगा। जो निविदा निस्तार के बाद दिया जायेगा। इसके लिए अलग से किसी भी प्रकार की राशि देय नही होगी।

जिला पदाधिकारी,
शिवहर।

ज्ञापांकः– 457 / जनसम्पर्क, शिवहर दिनांकः– 24 नवम्बर, 2017

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, शिवहर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि जिला के वेबसाइट पर निविदा पत्र अपलोड करना सुनिश्चित करें।

जिला पदाधिकारी,
शिवहर।